

## न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

प्रार्थना पत्र/19/32

इसराइल पुत्र जहाजखां कौम मेव निवासी नौगावां तहसील कामां जिला भरतपुर

..... प्रार्थी

- बनाम
- |  |                 |   |   |   |   |   |
|--|-----------------|---|---|---|---|---|
| 1 जाकर   | } पुत्रान उमराव | } कौम मेव भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर<br>जिला भरतपुर |   |   |   |   |
| 2 आमीन   |                 |   |   |   |   |   |
| 3 मुकीम  |                 |   |   |   |   |   |
| 4 मोइन   |                 |   |   |   |   |   |
| 5 रहमान  | } पुत्रान नब्बू |   | } |   |   |   |
| 6 वशीर   |                 |   |   |   |   |   |
| 7 रूजदार   |                 |   |   |   |   |   |
| 8 राज0 सरकार जरिये तहसीलदार कांमा                    |                 |   |   | } |   |   |
| 9 हाजरा पत्नी जाकर                                   |                 |   |   |   | } |   |
| 10 शाखा प्रबंधक महोदय पी.एन.बी. जुरहरा               |                 |   |   |   |   | } |
| 11 साहबुदीन पुत्र जहाजखां निवासी नौगावां तहसील कामां |                 |   |   |   |   |   |

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली अंतर्गत धारा 235 राज0 टी0 एक्ट विरुद्ध  
उपखण्ड अधिकारी पहाडी श्री कैलाश शर्मा मुकदमा उनवानी  
हाजरा बनाम जाकर

आदेश

दिनांक 01.10.2019

अभिभाषक अप्रार्थी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र एस.डी.ओ पहाडी के विरुद्ध पेश किया है। चूंकि एस.डी.ओ पहाडी का सीनान्तरण हो चुका है। ऐसी स्थिति में यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिली प्रभावहीन होने से काबिल खारिज के है। अतः प्रार्थना पत्र मुन्तकिली प्रभावहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डा. जोगा राम)  
जिला कलक्टर  
भरतपुर

